



कर्मचारी राज्य बीमा (नंगम)  
(श्रम अने रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



**प्रादेशिक क्षेत्री / क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office**  
पंचदीप भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात - 380 009  
पंचदीप भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात - 380 009  
Panchdeep Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat - 380009  
Phone : 079-27582400/450, E-mail : [rd-gujrat@esic.gov.in](mailto:rd-gujrat@esic.gov.in)  
Website : [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in) / [www.esic.in](http://www.esic.in)

दिनांक : 15/07/24

## प्रेस नोट

गुजरात राज्य के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों के बीच सामान्य कार्य योजना पर अभिशरण (Convergence) की नौवीं बैठक ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में 15 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई।

गुजरात राज्य के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों के बीच सामान्य कार्य योजना पर अभिशरण (Convergence) की नौवीं बैठक ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में 15 जुलाई, 2024 को सुबह 11:00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, चौथी मंजिल, पंचदीप भवन, ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय में श्री रामजी लाल मीणा, बीमा आयुक्त (पश्चिम अंचल) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में श्री हेमंत कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्री पी. जॉन जुघी, आर.पी.एफ.सी-1, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्री मोहन चंद सेन, क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), दत्तोपंत ठेगाडी श्रमिक शिक्षण एवं कल्याण राष्ट्रीय संगठन, श्री मनीष चंद्र जायसवाल, खान सुरक्षा निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, श्री मकसूद ए खान, डिप्टी सीएलसी(सी), सीएलसी(सी), अहमदाबाद, श्री महेश कुमार अग्वाल, सहायक निदेशक, श्रम ब्यूरो, अहमदाबाद, श्री परवेज़ आलम, सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र, रोजगार महानिदेशालय (डीजीई), अहमदाबाद, श्री विवेक अवरथी, उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सभी अधिकारियों के साथ कामगारों को मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई सभी सदस्यों द्वारा अपने-अपने सुझाव रखे गए ताकि कामगारों को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। अंत में बीमा आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), क.रा.बी.निगम द्वारा सभी सदस्यों का धन्यवाद किया गया।

**क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी)**



